

राजस्थान सरकार
**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा**

क्रमांक: भूमि अवाप्ति / प्रतिकर / प्र0सं0 / 38 / 2020

दिनांक 28 फरवरी, 2020

:: अवाई ::

**अवाई अन्तर्गत धारा 3 G राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं
Section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to Acquisition Under NH Act,
1956**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छ: लेन निर्माण/चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 A (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 22/08/2019 को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 08/09/2019 को किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 06/12/2019 को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 28/12/2019 को किया गया। सूचना प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (2) के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी है।

अवाप्ताधीन भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु विहित अधिनियम की धारा 3D के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना का अवलोकन किया गया। अधिसूचना के अनुसार विपक्षी के खाते में अंकित ग्राम हमीरगढ तहसील हमीरगढ की आराजी नं0 1736/2 में से 0.0632 हेक्टेयर, भू-भाग अवाप्त किया गया है।

तहसीलदार हमीरगढ से अवाप्ताधीन भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन एवं जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम हमीरगढ तहसील हमीरगढ की आराजी नं0 1736/2, किस्म चाही।।, रकबा 0.1517 है0, विपक्षी के स्वामित्व की होकर इस आराजी में से 0.0632 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण/चौड़ाकरण में अवाप्ताधीन है। अवाप्ताधीन भूमि की DLC दर उप पंजीयक हमीरगढ से प्राप्त की गयीं।

अतः तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त मौका सत्यापन रिपोर्ट एवं जमाबन्दी की प्रति को आधार स्तम्भ लिया जाकर ग्राम हमीरगढ तहसील हमीरगढ की आराजी नं0 1736/2 में से 0.0632 अर्थात् 632 वर्गमीटर भूमि का प्रतिकर विपक्षी के नाम निर्धारण किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व ग्राम हमीरगढ, तहसील हमीरगढ की अवाप्ताधीन आराजी नं0 1736/2 में से 0.0632 हेक्टेयर अर्थात् 632 वर्गमीटर भूमि के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 G (1) (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन भूमि अर्जन पुनःवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि का निम्नानुसार प्रतिकर निर्धारित किया जाता है तथा हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं -

हितबद्ध व्यक्ति / खातेदार का नाम	अवाप्त भूमि का विवरण			दिनांक 22.08.19 को DLC दर (प्रति बीघा)	PWD के अनुसार ग्राम हमीरगढ की शहरी सीमा से दूरी	कृषि भूमि / आबादी भू-खण्ड तथा निर्माण निर्माण स्थायी संरचना का मूल्य				सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) कॉलम नं0 10 अंकित राशि का	दिनांक 08.09.19 से 28.02.2020 तक कुल 173 दिवस का ब्याज (12%से)	कुल मुआवजा राशि कॉलम नं0 (10+11+12)
	आIO नं0	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म			प्रतिकर राशि	निर्धारित फेक्टर दूरी 10-20 किमी पर देय कारक 1.50 गुणा दर से राशि	स्थायी संरचना का मूल्य	योग (8+9)			
श्री मदनलाल पिता मेघा रेगर निवासी नया समेलिया	1736 / 2	0.0632 है0 अर्थात् 632 वर्गमीटर	चाही।	36,85,176- अर्थात् 1457 प्रति वर्गमीटर	10.70 किमी	9,20,824-	13,81,236-	Nil	13,81,236-	13,81,236-	52,373-	28,14,845-

क0सं0	विवरण	राशि
1	कुल प्रतिकर राशि	28,14,845-

परियोजना निदेशक अवाई अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराना सुनिश्चित करे। विलम्ब के लिए परियोजना निदेशक जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करे तथा अवाप्तशुदा भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में राजस्व अधिकार अभिलेख में अंकन किया जावे एवं भूमि का कब्जा परियोजना निदेशक को सुपुर्द किया जावे।



प्रतिलिपि – पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा को पालनार्थ भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि अवाई अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराई जावे। हितबद्ध से भुगतान पत्रादि तैयार करवा पटवारी/तहसीलदार के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत कराए जावें।
2. तहसीलदार, हमीरगढ़ को भेजकर लेख हैं कि हितबद्धधारी से सम्पर्क कर अवाई अनुसार प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु प्रदत्त निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र में भुगतान प्राप्ति पत्रादि तैयार करवा अविलम्ब प्रस्तुत किए जावे। हितबद्ध व्यक्ति/खातेदारान् से इस आशय का इकरार नामा/अण्डर टेकिंग प्राप्त किया जावे कि यदि किसी कारणवश मुआवजा राशि गलत भुगतान होने या अधिक भुगतान होने पर वह ऐसी राशि अविलम्ब इस न्यायालय में जमा करायेगा। ऐसा नहीं करने पर उक्त राशि उसकी चल-अचल सम्पत्ति में से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में वर्णित प्रावधानों के तहत वसूल की जा सकेगी। हितबद्ध व्यक्ति/खातेदारान् से भूमि/भू-खण्ड का कब्जा प्राप्त कर परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सिपुर्द किया जावे। अवाप्त भूमि का नामान्तरकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम पर इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद कर जमाबन्दी की एक प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की जावे तथा एक प्रति परियोजना निदेशक को भिजवाई जावे।
4. हितबद्ध व्यक्ति/खातेदारान् श्री मदनलाल पिता मेघा रेगर निवासी नया समेलिया जिला भीलवाड़ा, को भेजकर लेख है कि अवाप्त भूमि के प्रतिकर भुगतान प्राप्ति हेतु संलग्न भुगतान प्रपत्र की पूर्ति करा आवश्यक दस्तावेजों के साथ पत्रादि पटवारी/तहसील के माध्यम से तत्काल प्रस्तुत करावें।

(राकेश कुमार)
अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा